

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-८, बरेली।

वाद सं०-६७१६/२०१९

सरकार

बनाम

युसुफ

धारा- एम०वी० एक्ट

थाना- बिथरीचैनपुर

जिला-बरेली।

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक:- १४.१२.२०१९

आज पुलिस चालानी राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

सुना। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना की गयी एवं कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है।

आदेश

अतः अभियुक्त को मु० बीस रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
अर्थदण्ड ना अदा करने पर अभियुक्त एक दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(यशवन्त कुमार सरोज)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं०-८, बरेली।